# उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी शराब (बीयर को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमावली, 2001

## अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 ( संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24–ख और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 10806/दस–लाइसेंस–97बी/संसाधन/08 मार्च, 2001 (समय समय पर यथासंशोधित) द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी शराब (बीयर और वाइन को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों की व्यवस्थापन नियमावली, 2001 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

**संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ**

1– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी शराब (बीयर को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमावली, 2001 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

**नियम–2 (1) परिभाषाएं** जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

**(क) "अधिनियम"** का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है।

(ख) **"दैनिक लाइसेंस फीस"** का तात्पर्य प्रतिफल फीस के उस भाग से है जो अंतरिम लाइसेंस के प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसे दर पर भुगतान किया जायेगा जैसा कि सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाय।

**(ग) "विदेशी शराब"** का तात्पर्य और इसमें भारत में आयात की गई स्प्रिट या मदिरा अथवा भारत में बनाई गई इस प्रकार परिष्कृत या रंजित स्प्रिट या मदिरा, जिससे कि वह सुगन्ध और रंग में भारत में आयातित मदिरा के सदृश्य मालूम हो और उसमें माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका, **वाइन** और मदिरा (लिक्युअर्स) सम्मिलित हैं,

**(घ) "आबकारी वर्ष "** का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है।

**(ङ) "परिवार"** का तात्पर्य इसमें दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहित–पुत्री/पुत्रियॉ और आश्रित माता–पिता सम्मिलित हैं।

**(च) "प्रपत्र"** का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है।

**(छ) "लाइसेंस प्राधिकारी"** का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है।

**(ज) "लाइसेंस फीस"** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24क के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से विदेशी मदिरा **एवं वाइन** की बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए, राज्य सरकार के परामर्श से, आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिए लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल फीस के रुप में ली जाने वाली नियत राशि से है।

परन्तु यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में अवशेष अवधि के लिये किया जाता है, तो :–

(एक) यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यस्थापन प्रथम त्रैमास (01 अप्रैल से 30 जून) में किया जाता है, तो सम्पूर्ण वर्ष के लिये यथा निर्धारित लाइसेंस फीस देय होगी।

(दो) यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यस्थापन द्वितीय त्रैमास (01 जुलाई से 30 सितम्बर) में किया जाता है, तो लाइसेंस फीस, वार्षिक लाइसेंस फीस के 3/4 भाग के समतुल्य देय होगी।

(तीन) यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यस्थापन तृतीय त्रैमास (01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर) में किया

जाता है, तो लाइसेंस फीस, वार्षिक लाइसेंस फीस के 1/2 भाग के समतुल्य देय होगी।

(चार) यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यस्थापन चतुर्थ त्रैमास (01 जनवरी से 31 मार्च) में किया जाता है, तो लाइसेंस फीस, वार्षिक लाइसेंस फीस के 1/4 भाग के समतुल्य देय होगी

**(झ) "प्रतिभूति धनराशि"** का तात्पर्य लाइसेंस फीस के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि से है, जिसे **अधिमानतः ई–पेमेन्ट के माध्यम से** राजकीय कोषागार में ब्याज रहित प्रतिभूति के रुप में जमा करना होगा तथा जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात् वापस किये जाने योग्य है।

**(ञ)** राज्य का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

**(ट) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 रूपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी स्तर पर देय होगी तथा आसवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स–फैक्ट्री प्राइस के अतिरिक्त वसूली योग्य होगी तथा थोक अनुज्ञापी द्वारा फुटकर अनुज्ञापी से अधिकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी।**

**(ठ) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम–12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी।**

**(ड) 'अनुक्रम' का तात्पर्य ई/लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से अनुज्ञापी के चयन के लिये कथित आधार दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है।**

**(ढ़)"पोर्टल" का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड करने के प्रयोजन से है।**

**(ण) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य फुटकर अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है।**

**(त) "व्यक्ति " का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो।**

**(थ) "व्यवस्थापन" का तात्पर्य ई/लाटरी के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।**

**(2)** इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।

## नियम–3. फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन

(क) इस नियमावली के उपबन्धों और लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के भुगतान के अधीन रहते हुये, विदेशी शराब की बिक्री के लिये फुटकर दुकान का इसमें विनिर्दिष्ट निर्धारित फीस प्रणाली द्वारा व्यवस्थापन या पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा।

(ख) भू–गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहर बन्द बोतलों में विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस प्रपत्र वि0श0 5–घ में स्वीकृत किया जायेगा।

## नियम–4 फुटकर बिक्री की दुकानों की संख्या और स्थिति के निर्धारण की शक्ति

राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकानों की संख्या निर्धारित की जायेगी। **दुकानों की प्रास्थिति सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से दुकान को भू–टैग किया जायेगा।** दुकानों की स्थिति समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश

आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 के **उपबन्धों** के अनुसार होगी।
**परन्तु** राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा किसी आबकारी वर्ष के दौरान नयी दुकानों का सृजन, जिले के लाइसेंस प्राधिकारी की मांग पर किया जा सकता है।

**नियम–5 लाइसेंस की अवधि**

लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी, किन्तु **लाइसेंसधारी की इच्छानुसार** अनुज्ञापन **अगले वर्ष के लिये राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित उपभोग के मानदण्ड के अनुसार नवीकृत** अथवा विस्तारित किया जा सकेगा ।

**नियम–6 लाइसेंस की स्वीकृति**

इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि **का अधिमानतः ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से** भुगतान करने पर लाइसेंस निर्गत किया जायेगा। **लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहॉ से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया है।**

**नियम–7 अनुज्ञापन स्वीकृति के लिए आवेदन–**

(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार **और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) के साथ–साथ जिला की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने** के पश्चात् इस निमित्त आन–लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।

(ख) विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, जिनकी लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, की सूची दुकानवार लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और धरोहर धनराशि सहित कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय और उप आबकारी आयुक्त प्रभार के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी। **यह सूचना आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) के साथ–साथ प्रत्येक जिला की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।**

(ग) **लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन समाचार पत्रों में अधिसूचित विज्ञप्ति में दी गई समय–सारिणी के अनुसार ऑनलाइन जमा किये जायेंगे। आवेदन के साथ (एक) हैसियत प्रमाण पत्र, (दो) आधार कार्ड, (तीन) पैन कार्ड, (चार) गतवर्ष की आयकर विवरणी की छायाप्रति एवं (पॉच) विहित प्रारुप में शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

**राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दर से प्रसंस्करण फीस व उस पर देय मूल्य संवर्धित कर/माल और सेवा कर के अतिरिक्त धरोहर धनराशि का भुगतान भी आन लाइन किया जायेगा।**

(घ) आवेदन प्राप्ति के लिए नियत किया जाने वाला अन्तिम दिनांक समाचार पत्रों **और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in)** में किए गए विज्ञापन में यथा नियत दिनों की संख्या से पहले न होगा।
(ङ) **निकाल दिया गया।**

**नियम–8–आवेदकों के लिए पात्रता की शर्ते–**

फुटकर विदेशी मदिरा की बिक्री की दुकानों के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी– अर्थात्–

(क) भारत का नागरिक हो,

या

**दो से अनधिक आवेदक, अर्थात एक व्यक्तिगत रूप से व दूसरा सह–आवेदक व्यक्ति के साथ तथा दोनों भारत के नागरिक हों।**

**भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये अर्ह नहीं होगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता अथवा आसवनी/ मदिरा निर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा।**

दुकान के आवंटन के पश्चात् **आवेदक तथा सह–आवेदकों की स्थिति** में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा। परन्तु यदि लाइसेंस किसी एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो, तो उसके मृत्यु की दशा में उसका/उसके विधिक वारिस यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए अनुज्ञापनधारी बने रह सकते है।

परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो **व्यक्तियों** द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक **व्यक्ति** की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक वारिस (वारिसो) के साथ यदि अन्यथा पात्र हों, अनुज्ञापनधारी बना रह सकेगा या दोनो **व्यक्तियों** की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिस (उत्तराधिकारी) यदि अन्यथा पात्र हो, अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं। **व्यक्तियों** के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा जो सम्मिलित रूप से और अलग–अलग उत्तरदायी होंगे।

(ख) **आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर** इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो।

(ग) **व्यतिक्रमी/काली सूची वाला न हो या** अधिनियम **या तद्धीन बनाई गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन** आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो **किसी** आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।

**(गग) आवेदक किसी दुकान के लिये स्वयं के नाम से एक तथा सह आवेदक के साथ अधिकतम एक कुल मिलाकर अधिक से अधिक दो आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये जाने के लिये पात्र होगा।**

(घ) **निकाल दिया गया।**

(ङ) निम्नलिखित **के प्रमाण स्वरूप** पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रुप से सत्यापित शपथपत्र प्रस्तुत करेगाः–

(एक) यह कि उसके पास समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है।

(दो) यह कि **उसकी** दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोष सिद्व न किया गया हो।

(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहॉ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण–पत्र यह दर्शाते हुए प्रस्तुत करना होगा कि लाइसेंस जारी होने के **पूर्व** उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है।

(पॉच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड–तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। **लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से अधिकृत बिक्रेता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा।**

(छः) यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों या सरकारी देयों का बकाया नहीं है।

(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक

निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।

(आठ) यह कि **आवेदक** माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त हो जाने के उपरान्त यह प्रमाणित हो जाता है कि वह माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे आवंटित किया गया **लाइसेंस** निरस्त कर दिया **जायेगा।**

(नौ) यह कि आवेदक बार काउसिंल में **रजिस्ट्रीकृत** अधिवक्ता नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में **रजिस्ट्रीकृत** अधिवक्ता पाया जाता है तो अनुज्ञापन निरस्त कर दिया **जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी भी अनुज्ञापन स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अपात्र होगा।**

(दस) **निकाल दिया गया।**

(च) **यह कि वह राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि आबकारी विभाग के राजकीय खाते में आन लाइन आवेदन के साथ ई–संदाय के माध्यम से जमा करेगा। यदि आवेदक अनुज्ञापी के रूप में चयनित कर लिया जाता है तो धरोहर धनराशि का समयोजन अनुज्ञापन फीस के सापेक्ष किया जायेगा। अन्य मामलों में चयन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त शीघ्र आवेदक को इलेक्ट्रानिक भुगतान के माध्यम से वापस कर दिया जायेगा।**

(छ) **निकाल दिया गया।**

**(ज) यह कि वह ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र का धारक है तथा ऋणशोधन क्षमता योग्य है, जिसके ऋणशोधन क्षमता की मालियत किसी जिला में एक दुकान के लाइसेंस स्वीकृति हेतु अवधारित लाइसेंस शुल्क की धनराशि के अन्यून धनराशि के समकक्ष होगी। परन्तु सह आवेदक होने की दशा में एक जिला में अनुज्ञापन स्वीकृति के लिये अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता के निर्धारित मानदण्डों को दोनों व्यक्तिगत रूप से पूरा करेंगे।**

**नियम–9 लाइसेंस के लिये जिला स्तरीय समिति–**

जिला स्तरीय सहमति होगी। समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगेः– अर्थात

| | | |
|---|---|---|
| (एक) | जिले का कलेक्टर | अध्यक्ष |
| (दो) | जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| (तीन) | आबकारी आयुक्त द्वारा नाम–निर्दिष्ट आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी | सदस्य |
| (चार) | जिले का जिला आबकारी अधिकारी | सदस्य/सचिव |

**10–लाइसेंसधारी का चयन–**

(क) **अनुज्ञापियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर ई–लाटरी की प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और अपात्रता के कारणों को उल्लिखित करते हुये समस्त पात्र एवं अपात्र आवेदनों की सूची तैयार करेगा और इस सूची को ई–लाटरी हेतु गठित जिला स्तरीय अनुज्ञापन समिति के समक्ष रखेगा।**

(ख) उक्त समिति **पात्र एवं अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। पात्र आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये अनुज्ञापी का चयन कम्प्यूटर चालित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन यथा विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, माडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। किसी भी आवेदक के पक्ष में स्वयं अथवा सह आवेदक के साथ**

**एक जिला में सभी प्रकार की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी।**

(ग) यदि चयनित आवेदक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताएँ पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और **शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से** दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु कदम उठायेगा।

(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु **शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से** तत्काल कदम उठायेगा।

**निकाल दिया गया।**

**नियम–11 व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण–**

जिला आबकारी अधिकारी व्यवस्थापन के **7** दिन के अन्दर व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा, जिसमें अनुज्ञापियों के नाम और पते, प्रभिूति धनराशि और लाइसेंस फीस के रूप में जमा की गयी राशि का विवरण होगा **तथा उसका विवरण आबकारी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के अतिरिक्त विहित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।**

**12– लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान–**

यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी रुप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के **छः** कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के **दस** कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के **बीस** कार्य दिवसों के भीतर जमा करेगा। **आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का समस्त भुगतान अधिमानतः ई–पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा।**

**अनुवर्ती वर्ष में दुकान का अनुज्ञापन अनुज्ञप्तिधारी की स्थान पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित उपभोग के मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा।**

यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, **जो** उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल पुनर्व्यवस्थापित **सरकार द्वारा यथाविहित रीति से** कर दिया जायेगा।

**नियम–13 शराब का उठान–** (क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदेशी शराब (वाइन सहित) के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क **(अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) जो समय–समय पर उदग्रहीत किये जांय, अधिमानतः ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से** जमा करने के पश्चात् **जिला** के किसी थोक लाइसेंसधारी (वि0श0–2) से एवं **जिला**/ प्रभार/ राज्य के एफ0एल0–2डी अनुज्ञापी से आयातित विदेशी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित **जिला** में वि0श0–2 अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं है, जो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य **जिला/जिलों** के थोक बिक्री लाइसेंसधारी (वि0श0–2) से विदेशी शराब (वाइन सहित) की आपूर्ति प्राप्त करेगा।

अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

**नियम–14 अधिकतम् फुटकर मूल्य (एम.आर.पी.)–** विदेशी शराब की बोतलों के लेबिलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम् बिक्री मूल्य अंकित होगा। लाइसेंसधारी बोतलों के लेबिलों पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं सें नहीं लेगा। **अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य प्रभारित किये जाने की दशा में वह नियम–18 के अधीन दण्ड का भागी होगा।**

**15–बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी–**अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल(अम्बेदकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर **मध्यान्ह 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक** बिक्री के लिए खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सम्बन्धित कानून के प्राविधानों के अधीन दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

**16. लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अतिशेष स्टाक का निस्तारण–**

लाइसेंसधारी द्वारा अनुज्ञापन अवधि की समाप्ति पर विदेशी शराब/**वाइन** की अविक्रीत **पायी गयी** मात्रा की घोषणा **लाइसेंसधारी द्वारा** लाइसेंस प्राधिकारी के समक्ष **अनुज्ञापन समाप्ति के** अगले दिन की जायेगी **और उसके द्वारा उसे संबंधित थोक विक्रेता को अपरान्ह 5.00 बजे तक वापस किया जायेगा। ऐसे स्टाक का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रीति से किया जायेगा।**

**नियम– 17 अनुज्ञापन का अभ्यर्पण** अनुज्ञापी, अधिनियम की धारा 36 के उपबन्धों के अधीन अपने अनुज्ञापन का अभ्यर्पण लाइसेंस प्राधिकारी को कम से कम, एक माह की लिखित नोटिस देकर कर सकता है। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंस प्राधिकारी, उसकी जमा प्रतिभूति से समस्त अवशेष आबकारी देयों की वसूली करने की कार्यवाही करेगा, और आबकारी आयुक्त का आदेश प्राप्त कर अतिशेष धनराशि वापस करेगा। लाइसेंस प्राधिकारी, आबकारी वर्ष की शेष अवधि के लिये दुकान के पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही भी आरम्भ करेगा।

**नियम–18 अनुज्ञापन का निलम्बन और निरस्तीकरण और शास्तियॉ–**

(1) लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है–

(क) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई बोतल पायी जाती है जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर **आबकारी विभाग द्वारा** सम्यकरूप से **अनुमोदित** शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में **सुरक्षा कोड** नहीं लगाया गया है,

(ख) यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक औषधि (जिसके लिये अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया गया है) पाई जाती है,

(ग) यदि अधिनियम अथवा नियमों के प्राविधानों के विपरीत अनुज्ञापी के कब्जे में कोई मदिरा या मादक भेषज पायी जाती है।

(घ) यदि अनुज्ञापी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें दिया गया कथन असत्य पाया जाता है।

(ड.) यदि अनुज्ञापी अधिनियम के अधीन किसी अपराध में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता **1860** की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध में दोष सिद्ध किया गया है।

(च) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई ऐसी बोतल पाई जाती है जिस पर अधिकतम फुटकर मूल्य अंकित नहीं है तथा

(छ) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति की ओर से लाइसेंसधारण किये हुए है।

(2) लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल अनुज्ञापन निलम्बित कर देगा, और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति जमा को समपहृत करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी करेगा लाइसेंसधारी अपना स्पष्टीकरण नोटिस की प्राप्ति के **7** दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। तत्पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को यदि वह ऐसा चाहे तो सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

(3) लाइसेंसधारी इस नियम के अधीन अनुज्ञापन के निलम्बन या निरस्तीकरण के लिए किसी प्रतिकर या वापसी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(4) यदि अनुज्ञापन निरस्त किया जाता है तो लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा उसे कोई **अन्य** आबकारी लाइसेंसधारण करने से विवर्जित किया जा सकता है।

**नियम–18क– अन्तरिम व्यवस्थापन–**

यदि लाइसेंस को इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में निलम्बित, निरस्त या समर्पित किया जाता है या यदि किसी अन्य कारण से दुकान का व्यवस्थापन होना रह गया हो तो लाइसेंस प्राधिकारी सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित दरों **के उच्चतम प्रस्ताव** पर दैनिक लाइसेंस फीस का भुगतान किए जाने पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन एक बार में अधिकतम् 14 दिनों के लिए या नियमित व्यवस्थापन तक दिनांक, जो भी पहले हो, कर सकता है। **एक दुकान एक लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।**

परन्तु लाइसेंस प्राधिकारी आबकारी आयुक्त की अनुमति प्राप्त किए बिना दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन दो बार से अधिक नहीं करेगा।

**निकाल दिया गया।**

**निकाल दिया गया।**

**19. विखण्डन और अपवाद–**

(एक) अद्यतन संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 जो आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 10702/दस–97 बी/ लाइसेंस–1991–92, दिनांक 23 फरवरी, 1991 के साथ प्रकाशित की गई, एतद्द्वारा विखण्डित की जाती है।

(दो) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट नियम के प्राविधानों के अधीन विदेशी शराब की दुकान या दुकानों के समूह के लिए वित्तीय वर्ष 2000–2001 के लिए पहले से निष्पादित व्यवस्थापन विधि मान्य रहेगा और 31 मार्च, 2011 तक लागू रहेगा।

**प्रपत्र–एफ0एल0–5 (घ)**

**विदेशी शराब–5 (घ)**

**भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों में विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस**

| आवेदक का फोटो | सह–आवेदक का फोटो |
|---|---|

| दुकान का फोटो |
|---|

**दुकान का अक्षांश/देशान्तर.....**
लाइसेंस संख्या.....वर्ष.....
दुकान का नाम.....जिला.....
लाइसेंस फीस रूपया .....(अंकों में).....(शब्दों में)
प्रतिभूति धनराशि रू0 .....(अंकों में).....(शब्दों में)
भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) .....
उत्तर :.....
दक्षिण : .....
पूरब :.....
पश्चिम :.....
लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते
(1).....पुत्र.....निवासी .....
(2).....पुत्र.....निवासी .....
..
विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते
(1).....पुत्र.....निवासी .....
(2).....पुत्र.....निवासी .....
(3).....पुत्र.....निवासी .....
(4).....पुत्र.....निवासी .....

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए (बीयर को छोड़कर) **(वाइन सहित)** मानक बोतलों/**टेट्रापैक** 2000 मि.ली., 1000 मि.ली. 750 मि.ली. 500 मि.ली. 375 मि.ली. 180 मि.ली.90 मि.ली. **(प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों में)** और 60 मि0ली. **(केवल स्काच में) और वाइन** ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में वर्णित है, की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला.....के अन्तर्गत..... स्थान, पुलिस थाना....., तहसील..... के लिए दिनांक ..... .....से 31 मार्च 20..... तक के लिए जिसके लिए नियम–6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

यह अनुज्ञापन निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम–1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस

धारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

## सामान्य और विशेष शर्ते

1– लाइसेंसधारी, जनपद के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंस धारक (विदेशी मदिरा–2) एवं **जिला**, प्रभार, राज्य के एफ0एल0–2डी अनुज्ञापी से विदेशी मदिरा **(वाइन सहित)** की आपूर्ति **अधिमानतः ई पेमेन्ट के माध्यम से** समय–समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित **जिला** में वि0श0–2 अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य **जिला/जिलों** के थोक लाइसेंसधारी (वि0श0–2) से विदेशी शराब **(वाइन सहित)** की आपूर्ति प्राप्त करेगा।

2– अनुज्ञापी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेंगे।

3– विदेशी मदिरा **एवं वाइन** की बोतलों के लेबुलों पर अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।

4– अनुज्ञापित परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।

5– किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक पौवा बोतल से कम मात्रा की धारिता में विदेशी मदिरा की विक्री नहीं की जायेगी और 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई बिक्री नहीं की जायेगी।

6– विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा की मुहरबन्द बोतलों अर्थात 2000 मि.ली., 1000 मि.ली. 750 मि.ली. 500 मि.ली. 375 मि.ली. 180 मि.ली.90 मि.ली. **(प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों में)** और 60 मि0ली. **(केवल स्काच में) और** विदेशी मदिरा एवं वाइन की सुसंगत नियमावलियों में निर्धारित धारिता में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में **आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।**

7– लाइसेंसधारी विहित **प्रपत्र और** रजिस्टर (एफ0एल0–25ए) **जो** लाइसेंस प्राधिकारी **के द्वारा विहित किया गया हो,** नियमित और सही–सही दैनिक **लेखा** रखेगा **एवं एस.एम.एस. के माध्यम से यूपीएक्साइज.इन पोर्टल पर अपलोड करेगा और** जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा **यथा** अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।

8– लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा। **वह ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों के अवलोकन के लिये आवश्यक यंत्र रखेगा।**

9– लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर **आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का** एक सहज दृष्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, विदेशी मदिरा का अनुज्ञप्ति धारक फुटकर बिक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। **साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः–**

**"दुकान के बाहर आस–पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।**

10– लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ–छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। **लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत बिक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा तथा जब निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तब उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

11– लाइसेंसधारी किसी भी क्रेता को 6 लीटर भारत में भरी हुई **(बी आई आई)** व 6 लीटर आयातित विदेशी

मदिरा प्रत्येक अलग–अलग जिसमें व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (व्हाइट रम सहित) जिन व वोदका सम्मिलित है, 3 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित वाइन दोनों अलग–अलग दो लीटर अन्य भारतीय व आयातित मदिरा तथा 6 लीटर कम तीव्रता के मादक पेय से अधिक मात्रा की फुटकर बिक्री एक बार में नहीं करेगा, जब तक अन्यथा अनुमति प्राप्त न हो।

12– **उप निरीक्षक की श्रेणी** से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी को विक्री नहीं करेगा।

13– लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में 2000 मि.ली., 1000 मि.ली. 750 मि.ली. 500 मि.ली. 375 मि.ली. 180 मि.ली. 90 मि.ली. और 60 मि0ली. की निर्धारित धारिता या उनके लेबुलों, **सुरक्षा प्रणाली के अधीन लगे सुरक्षा कोड, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरीरोधक ढ़क्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।**

14– लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि (अर्क), **सुरक्षा कोड निर्माण करने वाले यंत्र,** लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।

15– सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमे दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।

16– लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित **जैसे द्यूत या नृत्य कार्यक्रम** कराना **सर्वथा निषिद्ध** है।

17– अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल(अम्बेदकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर **मध्यान्ह 12 से रात्रि 10 बजे तक** खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से **उस दिन /दिनों पर** दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

18– विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19– लाइसेंसधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम–16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

20– लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तो को मानने के लिए बाध्य होगा।

21– विदेशी मदिरा के अनुज्ञापित परिसर में देशी मदिरा का संग्रह प्रतिबन्धित रहेगा।

दिनांक .....

जिला.....

**लाइसेंस प्राधिकारी**